"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-4/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, जलकर की न्यूनतम मासिक दर निम्नानुसार विहित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	नगर निगम (3)	नगरपालिका (4)	नगर पंचायत (5)
1.	घरेलू कनेक्शन	रु. 200 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)	रु. 180 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)	रु. 180 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)
2.	आवास सह व्यवसाय	रु. 350	रु. 300/-	रु. 300/-
3.	व्यवसायिक	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	होटल			
	(5 कमरे तक)	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-
	अति. प्रति कमरे	रु. 100/-	रु. 80/-	रु. 80/-
5.	भोजनालय/रेस्टोरेंट			
	10 टेबल तक	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-
	15 टेबल तक	रु. 1200/-	रु. 900/-	रु. 900/-
	15 टेबल से अधिक	रु. 2000/-	रु. 1700/-	रु. 1700/-
6.	औद्योगिक	रु. 1000/-	रु. 800/-	रु. 800/-
7.	संस्थागत :—			
	शासकीय	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-
	निजी	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-

इसी प्रकार बहुमंजिलीय आवासीय भवनों में घरेलू कनेक्शन की दर नगर निगम क्षेत्र में रु. 200/- प्रतिमाह नगरपालिका क्षेत्र में रु. 180/-प्रतिमाह और नगर पंचायत क्षेत्र में रु. 180/- प्रतिमाह, प्रति कनेक्शन (प्रति फ्लैट) के अनुसार होगी.

क्र. (1)	नगरीय निकाय (2)	आयकर दाता (3)	गैर आयकर दाता (4)
1.	नगर निगम	5000/-	2000/-
2.	नगरपालिका	4000/-	1500/-
3.	नगर पंचायत	3000/-	1500/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 5-4/18/2010.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ 5-4/18/2010 दिनांक 12-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 12th January 2011

NOTIFICATION

No. F 5-4/18/2011.—In exercise of the powers conferred upon it by Section 132 sub-section (1) para (b) of the Chhattisgarh Municipal Corporations Act, 1956 (No. 23 of 1956), and section 127 sub-section (1) para (b) of the

Chhattisgarh Municipal Council Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby fixes the minimum monthly water charges as follows :—

AMENDMENT

No. (1)	Use (2)	Nagar Nigam (3)	Nagar Palika (4)	Nagar Panchayat (5)
1.	Domestic Conn.	Rs. 200/- Month Rs. 60/- Month (Non-Property Tax Payer)	Rs. 180/- Month Rs. 60/- Month (Property Tax Payer)	Rs. 180/- Month Rs. 60/- Month (Property Tax Payer)
2.	Residence Cum-Shop	Rs. 350/-	Rs. 300/-	Rs: 300/-
3.	Commercial	Rs. 800/-	Rs. 600/-	Rs. 600/-
4.	Hotel (upto 5 Rooms) extra per room	Rs. 800/- Rs. 100/-	Rs. 600/- Rs. 80/-	Rs. 600/- Rs. 80/-
5.	Restaurant (upto 10 table) (above 10 & upto 15) (above 15 table)	 Rs. 800/- Rs. 1200/- Rs. 2000/-	 Rs. 600/- Rs. 900/- Rs. 1700/-	 Rs. 600/- Rs. 900/- Rs. 1700/-
6.	Industrial	Rs. 1000/-	Rs. 800/-	Rs. 800/-
7.	Institutional Govt. Private	 Rs. 800/- Rs. 800/-	 Rs. 600/- Rs. 600/-	 Rs. 600/- Rs. 600/-

Water Charges for Domestic Connection at Multistoried Residencial Building has been at rate of Rs. 200/- per month in Nagar Nigam, Rs. 180/- in Nagar Palika and Rs. 180/- in Nagar Panchayat.

The prescribed permission fee for water connection are :—

No. (1)	Municipalities (2)	Incometax Payee (3)	Non-Incometax Payee (4)
1.	Nagar Nigam	5000/-	2000/-
2.	Nagar Palika	4000/-	1500/-
3.	Nagar Panchayat	3000/-	1500/-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.